न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमंद (राज.)

पीठासीन अधिकारी : गिरीश कुमार शर्मा

मूल दीवानी प्रकरण सं0 : 43/2017 (CIS No. 42/2017)

अमृतपुरी वगैरा **बनाम** बहादुरसिंह वगैरा

उपस्थित :—

1. श्री वी0एस0 कर्णावट, विद्वान अधिवक्ता वादीगण
2. श्री सुनील बोहरा एवं श्री अक्षय पालीवाल विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद निरस्तीकरण इन्द्राज अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट तथा घोषणा व निषेधाज्ञा

आदेश

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 व्य0प्र0सं0)

दिनांक : 26.02.2021

1. वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत न्यायालय हाजा में दिनांक 17.11.2017 को पेश किया गया। जिसमें वादीगण ने अभिकथन किया कि वाके ग्राम फरारा में कुन्तेश्वर महादेव के नाम से एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है । उक्त मंदिर का सार्वजनिक प्रयान्स घटन हेतु वादी सं0 1 व 2 के पिता स्वर्गीय शंकर पुरी द्वारा सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के समक्ष नियमानुसार प्रपत्र एवं विधान प्रस्तुत किया व प्रन्यास का नाम ''मेवाड़ कुन्तेश्वर फरारा महादेव ट्रस्ट'' रखा । जिसमें वादी सं0 1 व 2 के पिता स्वर्गीय शंकरपुरी व वादी सं0 3 के पिता शम्भुपुरी को संस्थापक व आजीवन सदस्य बनाया गया। उक्त विधान के अनुसार वादी सं0 1 से 3 वंशानुगत न्यासी भी है। वाद के पैरा सं0 4 में वर्णित न्यासी बनाये गये हैं। दिनांक 01.01.93 को प्रतिवादीसं0 1 बहादुरसिंह के पिता स्वर्गीय बदनसिंह ने एक नया प्रपत्र पेश किया जिसमें न्यासी बनाये गये तथा सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ने जांच कर के वादी सं0 1 व 2 के पिता स्वर्गीय शंकरपुरी व वादी सं0 3 के पिता शम्भुपुरी को अनुवांशिक न्यासी मानते हुए, उक्त मंदिर श्री

मेवाड़ कुन्तेश्वर फरारा महादेव सार्वजनिक प्रयान्स घोषित किया गया एवं पंजियन प्रमाण पत्र श्री शंकरपुरी के नाम करने का आदेश किया। इस आदेश दिनांक 06.07.1991 के विरूद्ध आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर, के यहां अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 15.12.1992 से सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के आदेश को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध वादी सं0 1 व 2 के पिता स्वर्गीय शंकरपुरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पीटिशन प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.11.2000 से स्वर्गीय शंकरपुरी को धारा 22 राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने से रिट पीटिशन पोशनीय नहीं मानते हुए, खारिज कर दी। जिसकी डीबी में भी अपील हुई जिसमें एकल पीठ का आदेश यथावत रखा गया। इस प्रकार इस वाद में अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादी सं0 1 के पूर्वाधिकारी श्री बदनसिंह द्वारा कुन्तेश्वर महादेव सार्वजनिक प्रन्यास के नाम से जिस प्रन्यास का पंजियन कराने हेतु जो आवेदन सहायक आयुक्त देवस्थान के समक्ष दिनांक 04.10.1988 को प्रस्तुत किया गया उस आवेदन पर कोई प्रविष्टि कराने के प्रतिवादीगण अधिकारी नहीं है। वादीगण सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा दिनांक 06.07.1991 के आदेशानुसार "मेवाड़ कुन्तेश्वर फरारा महादेव ट्रस्ट" के नाम से सार्वजनिक प्रन्यास घोषित कराने एवं पंजियन कराने के अधिकारी हैं तथा आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.1992 की पालना में सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.1991 की पालना में "मेवाड़ कुन्तेश्वर फरारा महादेव ट्रस्ट" के नाम से पंजियन करने एवं प्रविष्टि करने का अनुतोष चाहा गया है।

2. प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कुन्तेश्वर महादेव के नाम से एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होना, वादी सं0 1 से 3 पूजारी होना बताया। जवाब दावे के पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत धारा 10 व 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता इस आशय का पेश किया गया कि उक्त अनवान का वाद वास्ते घोषणा व निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया जिसमें इस वाद के प्रतिवादीगण भी पक्षकार बनाये गये । उक्त जिला

न्यायालय, राजसमंद में प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 24.11.2014 को अपर जिला न्यायालय, राजसमंद में अंतरित किया गया, जिसकी अपर जिला न्यायालय, राजसमंद द्वारा सुनवाई की जा रही है। इस न्यायालय में वादीगण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें श्री कुन्तेश्वर महादेव (धार्मिक) सार्वजनिक प्रन्यास, फरारा जिला राजसमंद मूर्ति के सम्बंध में प्रस्तुत किया गया। जिसमें यह आधार लिया गया कि वादी सं0 1 से 3 पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं तथा सहायक आयुक्त देवस्थान में पंजियन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सहायक आयुक्त देवस्थान ने निर्णय पारित कर दिया तथा इस प्रार्थनापत्र में यह भी अंकित किया है कि जो वाद न्यायालय अपर जिला न्यायालय में चल रहा था जो वह वर्तमान में सिविल जज, राजसमंद में लंबित है । अतः इस वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना आवश्यक है। अंत में इस आवेदन में यह प्रार्थना की है कि पूर्ववर्ती वाद न्यायालय सिविज न्यायाधीश, राजसमंद में लंबित प्रकरण सं0 147/16 ई0 दी0 बउनवान प्रतापसिंह बनाम राज्य के निर्णय तक न्यायालय हाजा में लंबित वाद सं0 14/2017 ई0 दी0 बउनवान अमृतपुरी आदि बनाम बहादुरसिंह आदि के वाद की अग्रिम कार्यवाही स्थगित की जावे।

3. इस आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि प्रतापसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद की विषय वस्तु व वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद की विषय वस्तु अलग अलग है, अनुतोष भी समान नहीं है तथा ऐसा वाद जिला न्यायालय के अलावा अन्य किसी न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जावे।

4. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया ।

5. प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील बोहरा ने बहस की है कि इस प्रकरण के प्रतिवादी श्री प्रतापसिंह ने एक दावा घोषणा का इसी मंदिर के ट्रस्ट की घोषणा का जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो वर्तमान में वाद सं0 71/11 बउनवान प्रतापसिंह बनाम राजस्थान राज्य आदि अपर वरिष्ठ सिविल जज राजसमंद में लंबित है तथा यह पश्चातवर्ती वाद है

इसलिए इस वाद की कार्यवाही धारा 10 व्य0 प्र0 सं0 के तहत स्थगित की जाए।

6. इसके प्रतिकार में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री विश्वजीतसिंह कर्णावट ने बहस की है कि वादीगण का यह वाद राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 22 के तहत है, जो देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त व कमिश्नर के द्वारा जो आदेश किये गये हैं, उनके विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उस वाद के व इस वाद के समान पक्षकार नहीं है। जो वाद अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज के यहां लंबित है उसमें जो अनुतोष चाहा गया है वह घोषणा व निरस्तीकरण का चाहा गया है तथा सहायक आयुक्त के निर्णय को निरस्त करने का भी है। अधिक से अधिक दोनों वाद समेकित किये जा सकते हैं क्योंकि अपर सिविल जज न्यायालय में जो वाद लंबित है वह व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत व विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत वाद है तथा यह स्टेट्यूट के तहत संस्थित वाद है। इसलिए स्थगित किये जाने का कोई आधार नहीं है।

7. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायदृष्टांतों की ओर आकर्षित किया है :–

1. A.I.R. 2005 National Institute of M.H. & N.S. Vs. C. Para meshwara 242
2. A.I.R. 1981 Delhi 251 Nidhi Ltd. Delhi Vs. Shital Prasad Jain

8. A.I.R. 2005 National Institute of M.H. & N.S. Vs. C. Para meshwara 242 में माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अन्य स्टेट्यूट के तहत संस्थित वाद की कार्यवाही पर धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

9. A.I.R. 1981 Delhi 251 Nidhi Ltd. Delhi Vs. Shital Prasad Jain में माननीय देहली उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि जहां तीन वादों में पक्षकार भिन्न भिन्न है वहां समेकित की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

10. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर विचार किया व अभिलेख का परिशीलन किया तथा न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल जज राजसमंद में लंबित वादपत्र का परिशीलन किया।

11. हस्तगत मामले में वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत 22 राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत है जो सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के आदेश दिनांक 06.07.91 व उसके बाद आयुक्त देवस्थान विभाग के आदेश दिनांक 15.12.92 की पालना में प्रविष्टि करने के आदेश दिनांक 12.10.2017 को निरस्त करने व स्थाई व्यादेश के सम्बंध में प्रस्तुत किया गया है तथा पूर्ववर्ती वाद प्रतापसिंह बनाम स्टेट है जिसमें इस वाद का प्रतिवादी प्रतापसिंह वादी है तथा प्रतिवादीगण कुल 16 बताये गये है । जिनमें हस्तगत वाद में जो वादीगण व प्रतिवादीगण है वे लगभग उस वाद में भी पक्षकार है तथा उस वाद में केवल यह अनुतोष चाहा गया है कि शिव के मंदिर कुंतेश्वर महादेव की स्थापना श्री शिवसिंह के द्वारा किये जाने से व उनके अनुवांशिक उत्तराधिकारियों में वादी होने से वादी ही उक्त मंदिर का लोक पंजिकरण करवाने का अधिकारी है। कुल मिलाकर लोक न्यास के सम्बंध में ही उस वाद में प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है लेकिन चूंकि लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 22 के तहत एक विशेष संविधि के तहत यह वाद है जबकि पूर्ववर्ती वाद घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद व्यवहार प्रक्रिया संहिता व विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत है तथा धारा 22 लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत लोक न्यास से सम्बंधित मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में होने के विधिक प्रावधान है। अतः हस्तगत वाद जिला न्यायालय द्वारा ही सुनवाई के योग्य है। माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत A.I.R. 2005 National Institute of M.H. & N.S. Vs. C. Parameshwara 242 के पैरा सं0 8 में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में हस्तगत वाद में धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। क्योंकि यह वाद धारा 22 लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत होने से एक विशेष संविधि के तहत वाद है । अतः इस आधार पर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को उपरोक्त कारणों से मंजूर किये जाने योग्य नहीं है लेकिन हस्तगत मामले के लगभग सभी पक्षकार पूर्ववर्ती वाद के भी पक्षकार होने तथा पूर्ववर्ती वाद व हस्तगत वाद की विषय वस्तु लोक प्रन्यास को लेकर होने से उक्त वाद को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के परिप्रेक्ष्य में समेकित किया जाना संगत है।

इस सम्बंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत हालांकि किसी भी पक्षकार का कोई आवेदन नहीं है फिर भी दोनों वादों में विवाद बिन्दु एक समान होने से तथा परस्पर विरोधाभासी निष्कर्ष आने का अंदेशा होने से, पूर्व वाद भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था जो पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपर जिला न्यायाधीश को तथा बाद में अपर वरिष्ठ सिविल जज को अंतरित किया गया है । ऐसी स्थिति में पक्षकार उस वाद को इस वाद के साथ समेकित किये जाने की कार्यवाही करें।

12. अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाकर, निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल जज, राजसमंद में लंबित वाद सं0 71/11 बउनवान प्रतापसिंह बनाम राजस्थान राज्य आदि को इस वाद के साथ समेकित किये जाने की कार्यवाही करें।

(गिरीश कुमार शर्मा)

13. आदेश आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित सरे इजलास सुनाया गया।

(गिरीश कुमार शर्मा)